बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–14/2015 315 पटना, दिनांक: 19.09.18

कार्यालय आदेश

श्री रूपलाल मडल, तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) सप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पिपराही प्रखंड, शिवहर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के पत्रांक–305/आपूर्ति दिनांक–13.05.2015 के साथ संलग्न जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया के पत्रांक–1540 दिनांक 24.04.2015 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–202 सहपठित ज्ञापांक–1275 दिनांक–13.08.2015 द्वारा श्री रूपलाल मंडल पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही मे अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को संचालन पदाधिकारी तथा निदेशालय के का०आ०स०–294 सहपठित ज्ञापांक–2276 दिनांक –14.11.2016 द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

2. संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के पत्रांक–26/वि०जॉ० दिनांक 15.03.2018 द्वारा श्री रूपलाल मंडल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने मंतव्य दिया है कि :–

(i) आरोप संख्या–1 :– यह आरोप प्रमाणित नहीं होता है।

(ii) आरोप संख्या–2 :– प्रथम द्रष्टया उपलब्ध कागजात के परीशीलन से शिव शक्ति मोडर्न फ्लावर मिल को आरोपी पदाधिकारी द्वारा कम मात्रा में आपूर्ति करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। SFC प्रबंधक यदि आवश्यक समझते हो तो अगुलांक ब्यूरो से हस्ताक्षर की जॉच कराकर यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता हो तो इसकी वसूली नियमानुसार आरोपी पदाधिकारी से करने में स्वतंत्र हैं।

(iii) आरोप संख्या–3 :– उभय पक्षों के वक्तव्य से स्पष्ट है कि वांछित कागजात निगम कार्यालय में जमा नहीं हो सके। यदि जिला प्रबंधक उक्त कागजातों को प्राप्त नहीं कर रहे थे तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी /जिला आपूर्ति पदाधिकारी या किसी अन्य वरीय पदाधिकारी को दी जा सकती थी, जो कि नहीं किया गया। इसी प्रकार जिला प्रबंधक द्वारा भी वांछित कागजात प्राप्त नही होने की सूचना अपने स्तर से जिला पदाधिकारी या आरोपी पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी (जिला सांख्यिकी पदाधिकारी) को दी जानी थी, जो नहीं किया गया।

उपर्युक्त विवेचना से इतना स्पष्ट है कि वांछित कागजात निगम कार्यालय मे जमा नहीं हो सके।

इस प्रकार यह आरोप आरोपी के विरूद्ध प्रमाणित होता है।

(v) आरोप संख्या–4 – आरोपी श्री मंडल द्वारा प्रस्तुत SIO की कार्यालय प्रति तथा R.T.Note की छायाप्रति के परिशीलन से प्रथम द्रष्टया विदित होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा FCI चनपटिया/ बेतिया को 9329.00 क्विंटल गेहूँ तथा शिव शक्ति फ्लावर मिल, रघुनाथपुर(रक्सौल) को 2000.00 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध कराया गया

है। इस प्रकार कुल 11329.00 क्विंटल गेहूँ उपलब्ध कराया गया है। अवशेष 588.50 क्विंटल गेहूँ आरोपी पदाधिकारी के जिम्मे अवशेष बचता है। आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि ससमय गेहूँ का उठाव नहीं किये जाने के कारण गेहूँ की गुणवत्ता खराब हुई और वह विनष्ट हो गया। जबकि उनके द्वारा उठाव कराने हेतु निरंतर पत्राचार किया गया था।

आरोपी पदाधिकारी का दायित्व था कि भंडारित गेहूँ को सुरक्षित रखने हेतु वाछित कार्रवाई करते । इसी प्रकार जिला प्रबंधक का भी दायित्व था कि ससमय उसको उठाव कराने की कार्रवाई करते परन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार समेकित लापरवाही के कारण 588 5 क्विंटल गेहूँ बर्वाद हुआ और निगम को आर्थिक क्षति हुई।

इस प्रकार 588.5 क्विंटल गेहूँ आरोपी पदाधिकारी के जिम्मे लंबित होना प्रमाणित है।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(3) में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–3 एवं 4 प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री रूपलाल मडल से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री मंडल ने यह उल्लेख किया है कि (i) जिला प्रबंधक उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे जिस कारण बिना प्राप्ति रसीद दिये एस०आई०ओ० एवं आर०टी०नोट जमा करना उचित प्रतीत नहीं हुआ। इसकी मौखिक जानकारी वरीय पदाधिकारी एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को मई, 2015 में एस०आई०ओ० एवं आर०टी०नोट की छायाप्रति उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया था। साथ ही साथ ई–मेल के माध्यम से जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बेतिया को सूचना भेज दी गयी थी। (ii) संभावित बाढ़ एवं वर्षा को देखते हुए यथाशीध्र उठाव कराने का अनुरोध किया गया था एवं इस आशय की सूचना उनके द्वारा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को दिनांक 19.07.2012 को दी गयी थी। संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इनके द्वारा उठाव हेतु निरंतर पत्राचार किया गया है, फिर भी समेकित रूप से जिम्मेदार ठहराने की बात लिखी गयी है। इस बात से स्पष्ट होता है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा अन्तः स्वीकृति है कि 588.50 क्विंटल गेहूँ जो विनष्ट हो गया, उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया गया है। यह क्षति विभाग के अनेदेखी एवं ससमय उठाव नहीं होने के कारण हुआ है।

इस प्रकार श्री मंडल द्वारा उन्ही तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इन्होंने संचालन पदाधिकारी के समक्ष अपने स्पष्टीकरण मे दिया था, जिसके समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

4. अपने अभ्यावेदन मे श्री मंडल द्वारा यह कहना कि गेहूँ की क्षति विभाग की अनदेखी एवं ससमय उठाव नहीं होने के कारण हुआ, को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया जिसके चलते सरकार को आर्थिक क्षति हुई। अतएव श्री मंडल का अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

5 उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि श्री रूपलाल मंडल द्वारा कुल 588.50 क्विंटल गेहूँ जिसका मूल्य 2012–2013 के लिए निगम के आर्थिक दर 1910.00 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 1124035.00 रूपये (ग्यारह लाख चौबीस हजार पैतीस रूपये) की सरकारी संपत्ति का गबन करने का आरोप प्रमाणित होता है। यह राशि श्री रूपलाल मडल, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक से वसूलनीय है जिसकी वसूली हेतु संबंधित विभाग यथा– खाद्य एवं

उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंधित पदाधिकारी समुचित कार्रवाई जिला पदाधिकारी,पश्चिम चम्पारण(बेतिया) से समन्वय स्थापित कर करेंगे।

6. उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रूपलाल मडल पर संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रूपलाल मडल, तत्कालीन प्रखंड साख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पिपराही प्रखंड, शिवहर पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 में किये गये प्रावधानों के संचयी प्रभाव के साथ तीन वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–14/2015 1913 पटना, दिनाक: 19.09.18

प्रतिलिपि :– सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को उनके पत्रांक–305 /आपूर्त्ति दिनांक 13.05.2015 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. जिला पदाधिकारी, शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. जिला कोषागार पदाधिकारी, पंश्चिम चम्पारण (बेतिया)/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. श्री रूप लाल मंडल,तत्कालीन प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, सिकटा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) संप्रति प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, पिपराही प्रखंड, शिवहर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/9

निदेशक